

क्रमांक: जविप्रा/जोन-12/07/7157 दिनांक 26/10/07

क्र.सं.	ए.सं.	विवरण	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	121.1	कार्यकारी समिति की 120 वीं बैठक दिनांक 06.09.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	121.2	श्री राजेन्द्र प्रसाद रूथला, कनिष्ठ लेखाकार की 4 वर्ष पश्चात् 5. वे वर्ष के लिये 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण अस्वीकृत किया गया। निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान को लिखा जावे की जविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले क.लेखाकारों को 2 वर्ष के पश्चात् ही जविप्रा की सहमति पर जविप्रा में भिजवाया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
3	121.3	जविप्रा द्वारा अनुमोदित ज्योति जगजीवन गृ.नि.स.स. की योजना कल्याण कालोनी के पूर्णगठित भूखण्ड सं. 29, 30, व 31 क्षेत्रफल 833.94 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (कुसुम देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड जविप्रा की 19 अधिसूचित सडको में से एक सडक पर स्थित है, इसलिये ज्योति जगजीवन गृ. नि.स.स. की योजना कल्याण कालोनी के पूर्णगठित भूखण्ड सं. 29, 30, व 31 क्षेत्रफल 833.94 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। भू-उपयोग परिवर्तन का अन्तिम आदेश राज्य सरकार से छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नियमन सम्बन्धी आदेश प्राप्त होने पर, उक्त आदेश के अनुरूप होने पर, जारी किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-1	
4	121.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नं. 154, 278 से 282 कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 6 बिसवा का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ एवं खसरा नं. 355 रकबा 5 बीघा 7 बिसवा का ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (निहाल कवर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
5	121.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम दुर्गापुरा तहसील सांगानेर के हाल खसरा नं. 112 में रकबा 1.47 है० का 1/9 हिस्सा अर्थात् 1031.60 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्री मूलचन्द, श्री जीवण)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम दुर्गापुरा तहसील सांगानेर के हाल खसरा नं. 112 में रकबा 1.47 है० का 1/9 हिस्सा अर्थात् 1031.60 वर्ग गज भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 202.5 व.ग. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 829.10 व.ग. भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। धारा 25 (1) की अन्तिम अधिसूचना सैटबैक के अवैध निर्माण को हटाने के पश्चात् जारी की जावे व मौके पर सडक हेतु समर्पित भूमि पर तुरन्त सडक बनाई जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-4	
6	121.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स.स. की योजना मौजी कोलोनी के पुर्णगठित भूखण्ड संख्या 40 व 41 क्षेत्रफल 1132.62 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (डा.एस.एस. देवडा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड जविप्रा की 19 अधिसूचित सडको में से एक सडक पर स्थित है, एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 वर्गगज से अधिक है, इसलिये जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स.स. की योजना मौजी कोलोनी के पुर्णगठित भूखण्ड संख्या 40 व 41 क्षेत्रफल 1132.62 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) की अन्तिम अधिसूचना अस्थायी स्ट्रकचर को हटाने पर जारी किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-1	
7	121.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 188 क्षेत्रफल 0.37 है० अर्थात् 4302.88 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (नार्विक निर्माण एण्ड फाईनेन्स प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 188 क्षेत्रफल 0.37 है० अर्थात् 4302.88 वर्ग गज भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 2631.61 व.ग. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1671.27 व.ग. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-7	

S.N.	1444	बक नालय गय मणय / अाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
8	121.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स.स. की योजना मौजी कोलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 34-35 क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (लालचन्द अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिखा गया कि भूखण्ड जविप्रा की 19 अधिसूचित सडको में से एक सडक पर स्थित है, एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 वर्गगज होने से जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स.स. की योजना मौजी कोलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 34-35 क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-1
9	121.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जैसल्या तहसील आमेर के खसरा नं. 164/9, 13, 14, 165/152 कुल किता 4 रकबा 1.08 है0 भूमि का भू-उपयोग ईकोलोजिकल से औद्योगिक किये जाने के संबंध में। (नंद किशोर अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में रीको की एनअंसी प्राप्त की जावे, एवं औद्योगिक इकाई के रूप में रजिस्ट्रेशन आदि की जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-2
10	121.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 130, 133/1687, 133/1687/1842, 134 किता 4 रकबा 2.09 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक एवं खसरा नं. 418 रकबा 1.96 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (छोटूराम यादव)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 418 रकबा 1.96 है0 भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 225 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर 19375.00 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। खसरा नं. 130, 133/1687, 133/1687/1842, 134 किता 4 रकबा 2.09 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में प्रार्थी से व्यावसायिक का डिटेल प्लान प्राप्त किया जावे जिसका परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11
11	121.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स.स. की योजना मौजी कोलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 38-39 क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (गोविन्द सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिखा गया कि भूखण्ड जविप्रा की 19 अधिसूचित सडको में से एक सडक पर स्थित है एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 वर्गगज होने से जविप्रा द्वारा अनुमोदित मौजी गृ.नि.स.स. की योजना मौजी कोलोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 38-39 क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-1
12	121.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम भांकरोटा कला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1204/2987, 1205/2988, 1206/2989, 1207/2990, 1228 से 1231 कुल किता 8 रकबा 2.35 है0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (लश्करी डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से प्रस्तावित व्यावसायिक भूमि का प्लान प्राप्त किया जावे। परीक्षण पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11
13	121.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1570/2, 1570/3 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (श्री राजधानी एंस्कूलेशन वेलफेयर सोसायटी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1570/2, 1570/3 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
14	121.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1271, 1279/3275, 1279/3276, 1331, 1560/3159, 1279/3232, 1532, 1316, 1303, 1301, 1301/1289, 1304, 1297, 1339/1, 1270/3, 1290, 1288, 1531, 1531/3157, 1559/3156, 1279/3208, 1279/3269, 1279/3462, 1332, 1332/3238, 1333, 1560/3158, 1284/3203/1, 1543, 1562/3278, 1562/3279, 1562/3280, 1544, 1551, 1546, 1553, 1564, 1284/3202, 1568, 1570/1, 1561/3178, 1571, 1572, 1573, 1577/1 कुल रकबा 141 बीघा 06 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै0 लोट्स कॉन्स बॉल्ड टेक्नोकैट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील फागी के खसरा नं. 1271, 1279/3275, 1279/3276, 1331, 1560/3159, 1279/3232, 1532, 1316, 1303, 1301, 1302, 1289, 1304, 1297, 1339/1, 1270/3, 1290, 1288, 1531, 1531/3157, 1559/3156, 1279/3208, 1279/3269, 1279/3462, 1332, 1332/3238, 1333, 1560/3158, 1284/3203/1, 1543, 1562/3278, 1562/3279, 1562/3230, 1544, 1551, 1546, 1553, 1564, 1284/3202, 1568, 1570/1, 1561/3178, 1571, 1572, 1573, 1577/1 कुल रकबा 141 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से खसरा नम्बर 1270/3, 1543, 1544, 1553 क्षेत्रफल 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर एप्रोच रोड उपलब्ध नहीं होने के कारण इन खसरा नम्बरों का दाम करने के पश्चात् शेष भूमि 133 बीघा 10 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
15	121.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित अपोलो गृ.नि.स.स. की योजना लाल बहादुर नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या पी-17 व पी-19 क्षेत्रफल 1316.53 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (पोल्याका एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 वर्गगज अधिक है इसलिये अपोलो गृ.नि.स.स. की योजना लाल बहादुर नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या पी-17 व पी-19 क्षेत्रफल 1316.53 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) की अन्तिम अधिसूचना अस्थायी स्ट्रकचर को हटाने पर जारी किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
16	121.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम आमेर तहसील आमेर के खसरा नं. 5537 रकबा 0.19 है0 खसरा नं. 5538 रकबा 0.21 है0 कुल किता 2 रकबा 0.40 है0 (4783.33 वर्ग गज) भूमि जो पुराने आमेर रोड पर स्थित है का भू-उपयोग उपान्तरण रिक्रियेशनल से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के संबंध में। (मोहन लाल शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में अति.आयुक्त (एल.पी.सी) उपायुक्त जोन-2 एवं एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट) द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जावे एवं प्रकरण का क्षेत्र आमेर विकास प्राधिकरण की किसी योजना से प्रभावित तो नहीं है, के बावत् परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-2	
17	121.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 787 से 792 कुल किता 6 रकबा 2.07 है0 हेतु कार्यकारी समिति की 119वीं बैठक दिनांक 20.08.07 के कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश खसरा नं. 791 रह जाने के कारण कार्यवाही विवरण दिनांक 20.08.07 में सम्मिलित माने जाने बावत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 787 से 792 कुल किता 6 रकबा 2.07 है0 हेतु कार्यकारी समिति की 119वीं बैठक दिनांक 20.08.07 के कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश खसरा नं. 791 रह जाने के कारण कार्यवाही विवरण दिनांक 20.08.07 में सम्मिलित माना जाकर ग्राम रामपुरा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 787 से 792 कुल किता 6 कुल रकबा 2.07 हेक्टेयर (24757.80 वर्गगज) में से 100 फिट सड़क में आने वाली 77.77 वर्गगज भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 24680.03 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
18	121.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सुदर्शनपुरा के खसरा नं. 42 से 47 के आंशिक भाग हेतु कार्यकारी समिति की 118वीं बैठक दिनांक 18.07.07 के कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश क्षेत्रफल 3643.94 वर्ग गज हो जाने के कारण 3643.94 वर्ग मीटर पड़े जाने बावत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सुदर्शनपुरा के खसरा नं. 42 से 47 के आंशिक भाग हेतु कार्यकारी समिति की 118वीं बैठक दिनांक 18.07.07 के कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश क्षेत्रफल 3643.94 वर्ग गज हो जाने के कारण 3643.94 वर्ग मीटर पड़े जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-5	


क्र.सं.	ए.सं.	वि.	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	प्रतिवेदन रिपोर्ट
19	121.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नौदंड तहसील आमर के संबंध में कार्यकारी समिति की 119वीं बैठक दिनांक 20.8.07 के निर्णय में रही त्रुटि खसरा नम्बर 1346/3478, 1355/1, 1353, 1358, 1354, 1359, 1360 के स्थान पर खसरा नम्बर 1386/3478, 1375/2, 1153, 1154, 1158, 1159, 1160 पढ़े जाने बाबत	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नौदंड तहसील आमर के संबंध में कार्यकारी समिति की 119वीं बैठक दिनांक 20.8.07 के निर्णय में रही त्रुटि खसरा नम्बर 1346/3478, 1375/1, 1353, 1358, 1354, 1359, 1360 के स्थान पर खसरा नम्बर 1386/3478, 1375/2, 1153, 1154, 1158, 1159, 1160 पढ़े जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
20	121.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम धेलावास तहसील सांगानेर के हाल खसरा नं. 297, 298, 299, 239, 240, 242, 232, 208, 209, 225, 206, 207, 232, 233, 234, 143, 467, 476 से 483, 493, 494, 495, 500, 504, 505, 439, 439/949, 439/950, 442 से 445, 155, 466, 480, 440, 441, 436, 183, 183 से 188, 198, 188, 196, 197, 191, 177, 190, 192 से 195, 204, 205, 235 से 238, 178 से 182, 196, 199, 202, 203, 225 कुल किता 77 रकबा 23.22 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण पब्लिक यूटीलिटी व ओपन स्पेस से मिश्रित (आवासीय/संस्थानिक/वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (राजस्थान आवासन मण्डल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम धेलावास तहसील सांगानेर के हाल खसरा नं. 297, 298, 299, 239, 240, 242, 232, 208, 209, 225, 206, 207, 232, 233, 234, 143, 467, 476 से 483, 493, 494, 495, 500, 504, 505, 439, 439/949, 439/950, 442 से 445, 155, 466, 480, 440, 441, 436, 183, 183 से 188, 198, 189, 196, 197, 191, 177, 190, 192 से 195, 204, 205, 235 से 238, 178 से 182, 196, 199, 202, 203, 225 कुल किता 77 रकबा 23.22 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण पब्लिक यूटीलिटी व ओपन स्पेस से मिश्रित (आवासीय/संस्थानिक/वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	
21	121.21	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
22	121.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के ख.नं. 523, 776, 777 किता 3 रकबा 1.55 है 0 अर्थात् 15500 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय व ख.नं. 513 रकबा 0.50 है 0 अर्थात् 5000.00 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मुकेश अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के ख.नं. 523, 776, 777 किता 3 रकबा 1.55 है 0 अर्थात् 15500 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय व ख.नं. 513 रकबा 0.50 है 0 अर्थात् 5000.00 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
23	121.23	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जय जवान गू.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 2 के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 8 व 37 क्षेत्रफल 766.11 वर्ग गज में से मुख्य टोक रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या 8 जिसका भू-उपयोग व्यावसायिक होने के कारण बचे हुये क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (धीरेन्द्र हीरावत)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जय जवान गू.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 2 के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 8 व 37 क्षेत्रफल 766.11 वर्ग गज में से मुख्य टोक रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या 8 जिसका भू-उपयोग व्यावसायिक होने के कारण बचे हुये क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। भू-उपयोग परिवर्तन का अन्तिम आदेश राज्य सरकार से आवासीय छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक किये जाने से सम्बन्धित नीति निर्धारण के आदेश जारी होने के पश्चात्, नीति के अनुरूप होने पर जारी किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-4	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
24	121.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम विमलपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 10मि., 25मि., 28मि., 29मि., 30 से 32, 35, 37 से 40, 41मि. से 43मि., 44 से 60, 61मि., 62मि., 69मि., 70मि., 71, 72, 73 से 75 से 93, 94मि., 95 से 106, 109 से 121, 122मि., 123, 127 से 159, 162 से 169, 181 से 186, 195 से 211, 225, 229 से 233, 33/455, 34/456, 92/450, 93/451, 95/446, 96/447, 97/448, 466/133, 467/134, 468/135, 164/452, 199/453, 463/195, 458/195, 459/195, 460/195, 461/195, 462/195, 465/198 किता 175 रकबा 57.89 हैक्ट. भूमि खातेदारों की एवं राजकीय भूमि के ख.नं. 34, 36 किता 2 रकबा 0.33 हैक्ट. व ग्राम विधानी तहसील सांगानेर खसरा नम्बर 209 से 215, 216मि., 217मि., 218, 219मि., 251मि., 252मि., 253, 254, 255मि., 256मि., 257 से 262 263मि., 264 से 297, 317 से 321, 353 से 365, 366मि., 372मि., 373, 374मि., 381मि., 383मि., 384 से 386, 387मि., 390मि., 391मि., 426मि., 427मि., 428मि., 429 से 434, 440 से 442, 457, 458, 459मि., 460मि., 209/863, 266/855, 282/854, 284/916, किता 108 रकबा 17.34 हैक्ट. एवं ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 751मि., से 755मि., 806मि., 807मि., 811मि., 818, 819मि., 828मि., 831मि., 1117, 1120मि., 1121, 1122 से 1129, 1129/1302 किता 24 रकबा 5.31 हैक्ट. भूमि खातेदारों की एवं राजकीय भूमि के ख.नं. 821मिन, 829मिन किता 2 रकबा 0.18 हैक्ट. तीनों ग्रामों के कुल किता 311 कुल रकबा 80.96 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम विमलपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 10मि., 25मि., 28मि., 29मि., 30 से 32, 35, 37 से 40, 41मि. से 43मि., 44 से 60, 61मि., 62मि., 69मि., 70मि., 71, 72, 73मि., 75 से 93, 94मि., 95 से 106, 109 से 121, 122मि., 123, 127 से 159, 162 से 169, 181 से 186, 195 से 211, 225, 229 से 233, 33/455, 34/456, 92/450, 93/451, 95/446, 96/447, 97/448, 466/133, 467/134, 468/135, 164/452, 199/453, 463/195, 458/195, 459/195, 460/195, 461/195, 462/195, 465/198 किता 175 रकबा 57.89 हैक्ट. भूमि खातेदारों की एवं राजकीय भूमि के ख.नं. 34, 36 किता 2 रकबा 0.33 हैक्ट. व ग्राम विधानी तहसील सांगानेर खसरा नम्बर 209 से 215, 216मि., 217मि., 218, 219मि., 251मि., 252मि., 253, 254, 255मि., 256मि., 257 से 262 263मि., 264 से 297, 317 से 321, 353 से 365, 366मि., 372मि., 373, 374मि., 381मि., 383मि., 384 से 386, 387मि., 390मि., 391मि., 426मि., 427मि., 428मि., 429 से 434, 440 से 442, 457, 458, 459मि., 460मि., 209/863, 266/855, 282/854, 284/916, किता 108 रकबा 17.34 हैक्ट. एवं ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 751मि., से 755मि., 806मि., 807मि., 811मि., 818, 819मि., 828मि., 831मि., 1117, 1120मि., 1121, 1122 से 1129, 1129/1302 किता 24 रकबा 5.31 हैक्ट. भूमि खातेदारों की एवं राजकीय भूमि के ख.नं. 821मिन, 829मिन किता 2 रकबा 0.18 हैक्ट. तीनों ग्रामों के कुल किता 311 कुल रकबा 80.96 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
25	121.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 207मि., 208मि., 210मि., 211मि., 213मि., 215मि., 260, 262, 263, 261/1816, 264/1817, 334/1818मि., 1936/334 किता 13 रकबा 1.26 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (विजय लक्ष्मी ढढढा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 207मि., 208मि., 210मि., 211मि., 213मि., 215मि., 260, 262, 263, 261/1816, 264/1817, 334/1818मि., 1936/334 किता 13 रकबा 1.26 है० भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 594.15 व.मी. एवं प्लान्टेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 565 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 11440.85 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
26	121.26	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोर्पोरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 39 क्षेत्रफल 413.37 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कमलेश हत्दिश)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड 19 अधिसूचित सड़कों के अन्तर्गत आता है, इसलिये जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोर्पोरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 39 क्षेत्रफल 413.37 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। भू-उपयोग परिवर्तन का अन्तिम आदेश राज्य सरकार से छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक नियमन सम्बन्धी आदेश जारी होने के पश्चात्, उक्त आदेश के अनुरूप होने पर जारी किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालिका रिपोर्ट
27	121.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नौदंड तहसील आमेर के ख.नं. 952, 1124, 1126/3424, 957, 958, 959, 960 व 1131 कुल किता 8 रकबा 6.47 हे० अर्थात् 64700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (सनसिटी प्रोजेक्ट)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नौदंड तहसील आमेर के ख.नं. 952, 1124, 1126/3424, 957, 958, 959, 960 व 1131 कुल किता 8 रकबा 6.47 हे० अर्थात् 64700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जॉन-12	
28	121.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नौदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 1144/3476, 1145/3474, 1145/3475, 1146, 1152/3477, 1136, 1685, 1690, 1148, 1681, 1682, 1684, 1147, 1679, 1680, 1683, 1139, 1142, 1143, 1133, 1141 कुल किता 21 रकबा 17.75 हे० अर्थात् 177500 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (लीलाराम आर्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नौदंड तहसील आमेर के खसरा नं. 1144/3476, 1145/3474, 1145/3475, 1146, 1152/3477, 1136, 1685, 1690, 1148, 1681, 1682, 1684, 1147, 1679, 1680, 1683, 1139, 1142, 1143, 1133, 1141 कुल किता 21 रकबा 17.75 हे० अर्थात् 177500 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जॉन-12	
29	121.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम झाई तहसील सांगानेर के खसरा नं. 46 से 60, 64 से 69, 70/742, 699, 708, 713, 714/1, 705, 707/1, 704/3, 706, 707/2, 714/5, 703/1, 714/2, 703/2, 704/1, 714/4, 704/2, 71 से 74, 78 किता 43 रकबा 10.64 हैक्ट. ग्राम भम्भोरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 690, 704, 691, 692, 688, 689, 670/1, 672, से 678, 670/1359, 642, से 646, 651, 703, 634, से 641, 693, 694, 696, 708, 685/1360, 686/1361, 717, 718, 720, 721, 691/1388, 692/1389, 698, से 701, 685, 686, 705, 706, 709, 722, 697, 702, 730 से 733, 682, 683, 680/1343, 739, 652, से 655, 679, 740 से 756, 753/1321, 754/1322, 680, 681, 684, 725, से 729 किता 93 रकबा 35.70 हैक्ट. एवं ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 119, 93, 94, 103/2, 104/2, 92, 96/1, 97/1, 98/1, 102, 108, 101, 103/3, 95/2, 99, 96/3, 100, 103/1, 95/1, 96/2, 97/2, 98/2, 91, 88/447, 89, 90, 92/445, 118, 131/427, 123, 124, 126, 127, 134, 137, 84, 88, 132, 133, 154मि., 155, 156, 112 से 117, 135, 130, 131, 122, 146 से 148, 151, 152 किता 57 रकबा 17.43 हैक्ट कुल किता 193 कुल रकबा 63.77 हैक्ट. अर्थात् 637700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने के संबंध में। (ईमार एम.जी.एफ. लैण्ड प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम झाई तहसील सांगानेर के खसरा नं. 46 से 60, 64 से 69, 70/742, 699, 708, 713, 714/1, 705, 707/1, 704/3, 706, 707/2, 714/5, 703/1, 714/2, 703/2, 704/1, 714/4, 704/2, 71 से 74, 78 किता 43 रकबा 10.64 हैक्ट. ग्राम भम्भोरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 690, 704, 691, 692, 688, 689, 670/1, 673, से 678, 670/1359, 642, से 646, 651, 703, 634, से 641, 693, 694, 696, 708, 685/1360, 686/1361, 717, 718, 720, 721, 691/1388, 692/1389, 698, से 701, 685, 686, 705, 706, 709, 722, 697, 702, 730 से 733, 682, 683, 680/1343, 739, 652, से 655, 679, 740 से 756, 753/1321, 754/1322, 680, 681, 684, 725, से 729 किता 93 रकबा 35.70 हैक्ट. एवं ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 119, 93, 94, 103/2, 104/2, 92, 96/1, 97/1, 98/1, 102, 108, 101, 103/3, 95/2, 99, 96/3, 100, 103/1, 95/1, 96/2, 97/2, 98/2, 91, 88/447, 89, 90, 92/445, 118, 131/427, 123, 124, 126, 127, 134, 137, 84, 88, 132, 133, 154मि., 155, 156, 112 से 117, 135, 130, 131, 122, 146 से 148, 151, 152 किता 57 रकबा 17.43 हैक्ट कुल किता 193 कुल रकबा 63.77 हैक्ट. अर्थात् 637700 व.मी. भूमि में से ख.नं. 146 रकबा 0.13 हे० ख.नं. 147 रकबा 0.15 है. ख.नं. 154 रकबा 0.16 हे० ख.नं. 155 रकबा 0.22 हे० ख.नं. 156 रकबा 0.18 हे० कुल किता 5 रकबा 0.84 हे० अर्थात् 8400 व.मी. भूमि सेज की प्रस्तावित रोड की अवाप्ति में है जिसे छोड़ने के पश्चात् शेष 629300 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जॉन-11	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिखे गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
30	121.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के ख.नं. 501, 504 से 513, 140 से 145, 146, 206 से 218, 197, 219, 472, 473, 184, 196, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 185, 193, 471, 474, 476, 477, 1415, 1416, 1418, 1419, 1402, 479, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 273, 1431, 1432, 1437 से 1441, 1536 से 1538, 147 से 149, 190, 204, 205 कुल किता 73 रकबा 32.47 है 0 अर्थात् 324700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपात्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जेमस्टर ज्वैलरी प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के ख.नं. 501, 504 से 513, 140 से 145, 146, 206 से 218, 197, 219, 472, 473, 184, 196, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 185, 193, 471, 474, 476, 477, 1415, 1416, 1418, 1419, 1402, 479, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 273, 1431, 1432, 1437 से 1441, 1536 से 1538, 147 से 149, 190, 204, 205 कुल किता 73 रकबा 32.47 है 0 अर्थात् 324700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपात्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। एवं एच.टी.लाईन की निर्धारित दूरी से प्रभावित क्षेत्र 22650 व.मी. भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 296505 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपात्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। यह प्रकरण ई.सी. की गत बैठक में न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण स्थगित किया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुसार भू-उपात्तरण के अन्तिम आदेश पर ही रोक है। अतः न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये भू-उपात्तरण का अन्तिम आदेश अर्थात् धारा 25(1) की अधिसूचना माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश हटने पर की जावे। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	
31	121.31	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के ख.नं. 272, 311 से 317, 319 से 322 कुल किता 12 कुल रकबा 3.37 है 0 अर्थात् 33700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपात्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कैलाश प्रसाद)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के ख.नं. 272, 311 से 317, 319 से 322 कुल किता 12 कुल रकबा 3.37 है 0 अर्थात् 33700 व.मी. भूमि में से गैस पाईप लाईन से प्रभावित क्षेत्र 2088 व.मी. एवं एच.टी. लाईन की निर्धारित दूरी से प्रभावित क्षेत्र 900 व.मी. भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 30712 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपात्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। यह प्रकरण ई.सी. की गत बैठक में न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण स्थगित किया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुसार भू-उपात्तरण के अन्तिम आदेश पर ही रोक है। अतः न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये भू-उपात्तरण का अन्तिम आदेश अर्थात् धारा 25(1) की अधिसूचना माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश हटने पर की जावे। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	
32	121.32	Providing, Laying & Jointing of uPVC pipe line & Construction of RCC SR, CWR & Pump house, pumping machinery and operation and maintence of Water Supply Schem at SWAPAN LOK, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियंता (पीएचई-11) के प्रस्तावानुसार मैसर्स माहेश्वरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की टैण्डर दर की राशि Part "A-1" 29% Above, Part A-2 24% Above, Part "B" Non BSR items राशि रूपये 7003500.00, पार्ट "C" Non BSR item राशि 2028400.00, तथा पार्ट "D" Non BSR O & M राशि 1404000.00 अर्थात् कुल राशि रूपये 24583304.54 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।	Zonel Engineer-II (PHE-II)	

क्र.सं.	एस.	विषय	बैठक/समिति/समिति/निर्णय/सुझाव	संशोधित अधिकारी	प्रालना रिपोर्ट
33	121.33	Agenda Regarding Approval of counter offer and so also Rate Contract for work of P/L/J of lateral sewer line in JDA Jurisdiction Jaipur.	<p>विचार विमर्श परचायक सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता पीएचई-1 के प्रस्तावानुसार निर्णय लिया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्यकारी समिति की 119 वीं बैठक दिनांक 20.08.07 के निर्णयानुसार जविप्रा क्षेत्र में आन्तरिक सीवर लाईन बिछाने की वार्षिक दर संविदा स्वीकृत करने के लिए एल-1 व एल-2 को क्रमानुसार पार्ट ए 24.80 प्रतिशत अधिक (above) एवं पार्ट बी 19 प्रतिशत अधिक (above) कुल राशि 2,49,29,767.12 पर काउन्टर ऑफर देने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त निर्णय की पालना में एल-1 को उपरोक्त स्वीकृत दरों पर प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे किन्तु एल-1 के द्वारा उक्त दरों पर कार्य करने की सहमति प्रस्तुत नहीं की गई, इसके उपरान्त एल-2 को उक्त दरों पर काउन्टर ऑफर दिया गया। इस पर एल-2 द्वारा उक्त काउन्टर ऑफर की दरों पर सहमत नहीं होकर निम्न संशोधित दरों पर कार्य करने की सहमति प्रस्तुत की गई है। पार्ट-ए 27.24 प्रतिशत अधिक पार्ट-बी 19 प्रतिशत अधिक कुल राशि 2,53,80,932.35 कार्यकारी समिति की बैठक में अवगत करवाया गया कि एल-2 द्वारा प्रस्तुत संशोधित दरों पूर्व में कार्यकारी समिति की स्वीकृत दरों से 2.34 प्रतिशत अधिक है। जविप्रा के द्वारा आन्तरिक सीवर लाईन बिछाने के लिए पूर्व में पार्ट ए @ 27.25 % अधिक एवं पार्ट बी @ 15 % अधिक के लिए कार्यादेश जारी किया गया। इस पर बैठक में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उक्त कार्य के लिए पुनः निविदाएं आमंत्रित करने पर वर्तमान बाजार की स्थिति के अनुसार और अधिक दरें प्राप्त होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुये एवं व्यापक जनहित में जन सहभागिता के तहत सीवर लाईन का कार्य सम्पादित करवाने के लिए क्रमानुसार काउन्टर ऑफर एल-1 एवं एल-2 को निम्न संशोधित दरों पर पार्ट-ए 27.24 प्रतिशत अधिक एवं पार्ट-बी 19 प्रतिशत अधिक, कुल राशि 2,53,80,932.35 देने की स्वीकृति प्रदान की गई। टेण्डर की स्वीकृति एल-1 एवं एल-2 जिन्होंने क्रमानुसार काउन्टर ऑफर स्वीकार किया हो, के पक्ष में पार्ट ए 27.24 प्रतिशत अधिक एवं पार्ट-बी 19 प्रतिशत अधिक, कुल राशि 2,53,80,932.35 देने की स्वीकृति प्रदान की गई। 	Zonal Engineer (PHE-I)	


संस्थापक
जविप्रा जयपुर